

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/ 304  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16.7.09

कलेक्टर,  
जिला- छतरपुर, होशंगाबाद, उज्जैन एवं भोपाल,  
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—


विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा से प्राप्त टीप/पत्र में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत जिलांतर्गत संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी से प्राप्त टीप क्रमांक एवं दिनांक	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती देवेन्द्र चौरासिया, अध्यापक कला शा.मा.शा.घोघरा जिला छतरपुर	जा.क्र.1382 दिं.23.06.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिं. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
2	श्रीमती सुनीता साहू वर्ग-2 कृषि विद्यालय, पवारखड़ा हाईस्कूल जिला होशंगाबाद	जा.क्र.1382 दिं.23.06.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिं. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
3	श्रीमती कुदसिया रानी, वरिष्ठ अध्यापक शा.उ.मा.वि. पानविहार जिला उज्जैन	जा.क्र.1361 दिं.17.06.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिं. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
4	श्रीमती उर्मिला प्रजापति, सहायक अध्यापक, शा.मा.शा.खजूरीखुर्द जिला भोपाल	जा.क्र.1420 दिं.24.06.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिं. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित आवेदिका को अवगत कराने का कष्ट करें।

अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार  
संचालक द्वारा अनुमोदित

  
संयुक्त संचालक 15-07-09  
लोक शिक्षण, म.प्र.


msed



पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/3es  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 16.2.09

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.



लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/12/2009/ 304  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16.2.09

जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला-सिवनी, उमरिया एवं रायसेन,  
मध्यप्रदेश.


विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा द्वारा प्राप्त टीप/पत्र में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	जिला	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
5	कु.अंजलीना एम्का, अध्यापक शा.आदिम जाति कल्याण हाईस्कूल दरगडा जिला सिवनी	सिवनी	आवेदिका द्वारा आवेदन एवं दोनो निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अध्यापक संवर्ग में संविलियन/नियुक्ति आदेश संलग्न नहीं किया गया है।
6	श्रीमती अमृता द्विवेदी, अध्यापक शा.पू.मा.वि.कोयलारी जिला उमरिया	उमरिया	आवेदिका से पूर्व में प्राप्त आवेदन/अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर संचालनालय के आदेश दिनांक 12.6.09 के द्वारा जिला रीवा में संविलियन की अनुमति जारी की जा चुकी है। यदि आवेदिका द्वारा सिंगरोली जिले में संविलियन हेतु संशोधित आवेदन पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो प्रकरण में विचार किया जा सकेगा।
7	श्रीमती मंजू महौर, अध्यापक शा.उ. मा.वि.थाला दिघावन उदयपुरा जिला रायसेन	रायसेन	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ दोनो निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अध्यापक संवर्ग में संविलियन/नियुक्ति आदेश संलग्न नहीं किया गया है।


अतएव कृपया उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित स्थिति के संबंध में आवेदिका द्वारा कमी पूर्ति से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर संविलियन की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा। अतः इस संबंध में उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदिका को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।  
संचालक द्वारा अनुमोदित

  
13.2.09  
उपसंचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.  
भोपाल, दिनांक 16.2.09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/12/2009/ 305  
प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदिका को ओर सूचनार्थ।

  
13.2.09  
उपसंचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.

msed



लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/12/2009/304

भोपाल, दिनांक 16.2.09

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला-उज्जैन, होशंगाबाद, गुना, सतना, सीहोर, विदिशा, सीधी तथा ग्वालियर  
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा द्वारा प्राप्त टीप/पत्र में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	जिला	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्री गोरधनलाल विश्वकर्मा, प्राथमिक शाला बनबनी जिला उज्जैन	उज्जैन	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 8.11.05 में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
2	श्री अर्जुन सिंह यादव, मा.शा. रैसलपुर	होशंगाबाद	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि.8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
3	श्री मेहरबान सिंह धाकड प्रा.वि.डुगासरा जिला गुना	गुना	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि.8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
4	श्री सुरेन्द्र तिवारी, शा.मा.शा.कन्हवारा जिला सतना	सतना	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि.8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
5	श्री कंठीलाल बुनकर शा.बा.उ.मा.वि.मैहर जिला सतना	सतना	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि.8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
6	श्री ओमप्रकाश मेवाड़, शा.प्रा.शा.रातीखेडा जि सीहोर	सीहोर	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि.8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।

msed

7	श्री अजीत कुमार नायर, अध्यापक बासखेडी जिला विदिशा	विदिशा	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि.8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
8	श्री उपेन्द्र साहू, शा.उ.मा.वि. रामपुर	होशंगाबाद	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि.8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
9	श्री विक्रम सिंह गडरिया, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.वि. अरनावदा जिला सीधी	सीधी	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि.8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।
10	श्री मुरारी लाल वंजारा शा.मा.वि.ग्राम सहौना जिला ग्वालियर	ग्वालियर	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि.8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।


अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संचालक द्वारा अनुमोदित


पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/12/2009/305

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

  
13.7.09  
उपसंचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.  
भोपाल, दिनांक 16.7.09

  
13.7.09  
उपसंचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.